

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट मसीतावाली)

1. राजीव कुमार पुत्र महीपाल जाति जाट निवासी 4 आरडब्ल्यूवी मसीतावाली तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. महीपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 4 आरडब्ल्यूवी मसीतावाली तहसील टिब्बी।
2. विमला पत्नी महीपाल जाति जाट निवासी 4 आरडब्ल्यूवी मसीतावाली तहसील टिब्बी।
3. सीमा पुत्री महीपाल पत्नी राजेश जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-188/2018

अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-24.5.2018

वादी की ओर से विजयपाल पारीक एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से अजय कुमार एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.5.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी संख्या 1 महीपाल के नाम से चक नं. 2 एनडीआर खाता संख्या 33/26 में अंकित कुल 2.024 है. आराजी का वादी संजीव कुमार को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। चक नं.2 एनडीआर के खाता संख्या 33/26 में से प्रतिवादी संख्या 1 महीपाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 24.5.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत मसीतावाली में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1000/-	जोड़	0